(96)

संख्याः– 1528 /XIV–1/2011–5(19)/2010

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादून दिनॉक 14 सितम्बर, 2011

विषयः– **चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए सहकारी सहभागिता योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर उपादान हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–115/नियो0/सहभागिता/2011–12 दिनांक 06 अप्रैल, 2011, शासनादेश संख्याः–519/XIV-1/ 2008 दिनांक 22 जुलाई, 2008, संख्याः–1478/XIV-1/ 2011-5(19)/2010 दिनांक 05 सितम्बर, 2011, संख्याः–1490/XIV-1/ 2011-5(19)/2010 दिनांक 07 सितम्बर, 2011 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–209/XXVII (1)/ 2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में सहकारी सहभागिता योजना (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर उपादान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण/दीर्घकालीन ऋण/आवास ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष भारत सरकार/नाबार्ड से नियमानुसार प्रतिपूर्ति के पश्चात राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किये जाने वाले ब्याज दरों के उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु **₹ 1,92,01,000/– (रूपये एक करोड़ बयानवे लाख एक हजार मात्र)** की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश हेतु सहकारी संस्थाओं से प्राप्त क्लेम के निबन्धक स्तर से सम्यक परीक्षण एवं त्रैमासिक प्रगति समीक्षा उपरान्त सहकारी संस्थाओं को वित्तीय स्वीकृति की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी एवं अग्रिम भुगतान अनुमन्य नही होगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–209/XXVII (1)/ 2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय।

(3) निबन्धक, सहकारी समितियॉ, शासन से समय–समय पर उपरोक्त मदों में धनराशि की स्वीकृति हेतु प्रशासकीय अनुमति के उपरान्त ही वित्तीय स्वीकृति अपने स्तर से प्रदान करेंगे।

(4) निवर्तन पर रखी धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

Release Budget G O 2011-12

(5) उक्त निवर्तन/स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह या उसके अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 प्रारूप पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करने से पूर्व गत वर्ष अवमुक्त धनराशि का विभागाध्यक्ष स्तर से हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित् कराया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्याः–30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता– आयोजनागत–00– 800–अन्य व्यय–03–सहकारी सहभागिता योजना–00–50 –सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–209/XXVII (1)/ 2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः–1528(1)/XIV–1/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबराय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, देहरादून।
7. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
8. सचिव/महाप्रबन्धक, समस्त जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।
9. प्रभारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, उत्तराखण्ड।
11. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उपसचिव।